कम्यूनिटी मेडिकल सेंटर

रोगियों के लिए महत्वूपर्ण बिलिंग सूचना

कम्यूनिटी मेडिकल सेंटर (CMC) का समुदाय को लौटाने का लंबा इतिहास है। हमारी प्रतिबद्धता हमारे अस्पतालों में देखभाल हेतु आने वाले रोगियों के लिए उदार वित्तीय सहायता नीतियों में झलकती है। इस पर्चे में हमारी बिलिंग प्रक्रिया, भुगतान के विकल्पों, और वित्तीय सहायता के कार्यक्रमों को समझने में हमारे रोगियों की सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। संघीय और राज्य के कानून अपेक्षा करते हैं कि अस्पताल अत्यधिक चिकित्सा खर्च वाले बीमारहित रोगियों और अधोबीमित रोगियों को रियायती या नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल प्रदान करें। ऐसे व्यक्ति जो वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते हैं और योग्य पाए जाते हैं उनसे आपात या अन्य चिकित्सा संबंधी आवश्यक देखभाल के लिए उस राशि से ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा जो आमतौर पर उन लोगों से लिया जाता है जिनके पास ऐसी देखभाल को कवर करने वाला बीमा है। यह सूचना केवल अस्पताल के बिल पर लागू होती है, और डॉक्टर, ऐनिस्थिसियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल प्रोफेशनल, एम्बुलेंस कंपनियों या अन्य मेडिकल प्रोफेशनल से आपको प्राप्त होने वाले बिल पर लागू नहीं होगी जिन्होंने कम्यूनिटी मेडिकल सेंटर (CMC) में आपको चिकित्सा उपचार प्रदान किया है।

वित्तीय सहायता (धर्मार्थ देखभाल): अत्यधिक चिकित्सा खर्च के साथ कम आय वाले बीमारहित रोगी और कम आय वाले अधोबीमित रोगी नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल के पात्र हो सकते हैं। यह पात्रता परिवार की आय और आकार पर आधारित है। नि:शुल्क देखभाल का पात्र होने से पूर्व भुगतानकर्ता के सभी स्रोत समाप्त हो जाने चाहिए।

रियायती देखभाल: यदि रोगी नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल के लिए योग्य नहीं है तो रोगी फिर भी रियायती देखभाल के लिए योग्य हो सकता है। यह पात्रता परिवार की आय और आकार पर आधारित है। CMC में आपात सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टरों को अत्यधिक चिकित्सा खर्च वाले ऐसे बीमारहित या अधोबीमित रोगियों को, जो संघीय गरीबी स्तर के 350% पर या उससे नीचे हैं, रियायत प्रदान करनी पड़ती है। आपको CMC में प्राप्त हुई आपात डॉक्टर की सेवाओं का अलग से बिल प्राप्त होगा। डॉक्टर के बिल के बारे में आपके किसी भी प्रश्न को डॉक्टर के कार्यालय भेज दिया जाएगा।

वित्तीय सहायता नीतियां और आवेदन: CMC की वित्तीय सहायता नीतियों और रियायती या नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल के लिए आवेदन फार्म की प्रतियां www.communitymedical.org से ली जा सकती हैं। CMC की वित्तीय सहायता नीति और आवेदन फार्म की प्रतियां निम्नलिखित स्थानों पर दाखिला करने वाले हमारे प्रमुख विभागों में भी उपलब्ध हैं: Community Regional Medical Center – 2823 Fresno Street, Fresno, CA 93721; Clovis Community Medical Center – 2755 Herndon Avenue, Clovis, CA 93611; and Fresno Heart and Surgical Hospital – 15 E. Audubon Drive, Fresno, CA 93720. डाक से CMC की वित्तीय सहायता नीतियों और आवेदन फार्म की नि:शुल्क प्रति प्राप्त करने के लिए, (559) 459-2998 पर एडमिटिंग को कॉल करके अपना अनुरोध दर्ज कराएं। वित्तीय सहायता नीतियों और आवेदन फार्म का अनुवाद स्पेनिश, हमोंग, पंजाबी, लाओतियाई, टेगलॉग, सोम-खमेर / कम्बोडियाई, अर्मेनियाई, अरबी, चीनी, वियतनामी, जर्मन, कोरियाई, जापानी, रूसी, हिंदी, पुर्तगाली, फ़ारसी, और मेंडारिन में उपलब्ध हैं।

आवेदन करने के लिए सहायता: CMC के दाखिला करने वाले विभाग (उपरोक्त सूचीबद्ध) आवेदन प्रक्रिया में आपकी सहायता करने के लिए उपलब्ध हैं। आपसे आवेदन फार्म भरने और अपनी पारिवारिक आय के दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। रोगियों द्वारा वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निम्न पते पर भेजने चाहिए: Community Medical Centers, Patient Financial Services Department, P.O. Box 1232, Fresno, CA 93715, Attn: Financial Assistance Application. अपना आवेदन और दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद, आपकी पात्रता के संबंध में आपसे संपर्क किया जाएगा। यदि आपको लगता है कि आप रियायती या नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल के लिए योग्य हो सकते हैं तो ज्यादा जानकारी के लिए एडमिटिंग से (559) 459-2998 पर संपर्क करें।

पात्रता सेवाएं: पात्र रोगी कम्यूनिटी मेडिकल सेंटर (CMC) में आपात और चिकित्साशास्त्र के अनुसार आवश्यक सेवाएं रियायत पर या नि:शुल्क प्राप्त करने के योग्य होते हैं। ऐसे सामान और सेवाएं जो (1) किसी चोट या बीमारी का उपचार करने के लिए चिकित्साशास्त्र के अनुसार आवश्यक नहीं हैं, (2) चुनिंदा कॉस्मेटिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती हैं, या (3) प्रायोगिक सामान या सेवाएं, जिनमें नैदानिक परीक्षण, शोध कार्यक्रम आदि के भाग के रूप में रोगी को प्रदान किए गए सामान या सेवाएं शामिल हैं, रियायती या धर्मार्थ मूल्य की पात्र नहीं हैं।

सरकारी कार्यक्रम की पात्रता: आप सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रम के पात्र हो सकते हैं। CMC का स्टाफ आपके अस्पताल के बिल का भुगतान करने के लिए सरकारी सहायता हेतु आवदेन करने में आपको सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। आप एडमिटिंग से (559) 459-2998 पर संपर्क करके सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य लाभ के लिए आवेदन करने हेतु सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

लंबित आवेदन: यदि रोगी आवेदन करता है या उस समय उसका किसी अन्य स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम के लिए आवेदन लंबित हैं जो उन्होंने CMC में धर्मार्थ या रियायती देखभाल के लिए किया था, तो कोई भी आवेदन अन्य कार्यक्रम के लिए पात्रता को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

भुगतान विकल्प: CMC के पास आपके अस्पताल के बिल का भुगतान करने में आपकी सहायता करने हेतु भुगतान के कई विकल्प मौजूद हैं। रोगी के खाता शेष प्राप्ति पर देय होते हैं, तथापि विस्तारित भुगतान योजनाएं भी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले रोगियों को उपलब्ध हो सकती हैं। यदि CMC और पात्र रोगी उपयुक्त मासिक भुगतान राशि पर सहमत नहीं होते हैं तो अस्पताल उचित भुगतान योजना बनाने के लिए कैलिफोर्निया स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड की धारा 127400 की उपधारा (i) में वर्णित सूत्र का प्रयोग करेगा।

वित्तीय अनुमानों की उपलब्धता की सूचना: आप अस्पताल की सेवाओं के लिए आपके वित्तीय उत्तरदायित्व के लिखित अनुमान के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अनुमान के लिए अनुरोध कार्य समय के दौरान करना चाहिए। अनुमान आपको वह राशि प्रदान करेगा जिसका भुगतान आपको स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, प्रक्रियाओं, और आपूर्ति के लिए अस्पताल को करना होगा जिनके अस्पताल द्वारा आपको उचित ढंग से प्रदान किए जाने की अपेक्षा है। अनुमान रोगी के निदान के लिए अस्पताल में ठहरने की औसत अवधि तथा सेवाओं पर आधारित होते हैं। वे नियत लागत पर सेवाएं प्रदान करने का वचन नहीं हैं। रोगी का वित्तीय उत्तरदायित्व रोगी को वास्तव में प्राप्त हुई सेवाओं के आधार पर अनुमान से कम या ज्यादा हो सकता है।

अस्पताल केवल अस्पताल की सेवाओं की राशि का अनुमान प्रदान कर सकता है। अस्पताल में रोगी के ठहरने के दौरान डॉक्टरों द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाएंगी उनका शुल्क अतिरिक्त हो सकता है, जैसे कि निजी डॉक्टरों और किसी ऐनिस्थिसियोलॉजिस्ट, पेथोलॉजिस्ट,रेडियोलॉजिस्ट, एम्बुलेंस कंपनियों या अन्य मेडिकल प्रोफेशनल के बिल जो अस्पताल के कर्मचारी नहीं हैं। रोगियों को इन सेवाओं के लिए अलग बिल प्राप्त होगा।

यदि लिखित अनुमान के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं तो रोगी वित्तीय सेवाएं से (559) 459-3939 पर संपर्क करें।